प्रधान कार्यालय :
डा.पे.सं. 88,
मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
पांडेश्वर,
मंगलूरु - 575 001.
कर्नाटक राज्य

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

Head Office :
P.B. No. 88,
Mangaladevi Temple Road,
Pandeshwar,
MANGALURU - 575 001.
Karnataka State

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक A Premier Public Sector Bank

निवेशक सेवा विभाग INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

संदर्भ Ref.:नि.से.वि.ISD/374/2019-20 **दिनांक Date: 5th मार्च March 2020**

To:	To,
BSE Ltd, Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001. http://listing.bseindia.com – **Listing Centre** **Ref: Code No.532179**	The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051. https://www.connect2nse.com/LISTING - **NEAPS** **Symbol: CORPBANK**

Sir/Madam,

Subject : Equity Share Exchange Ratio and Record Date for amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India.
Ref. : Our earlier letter ref. no. ISD/292/2019-20 dated 22nd November 2019.

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform that the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 after consultation with the Reserve Bank of India has notified the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 vide gazette notification dated March 4, 2020. It shall come into force on April 1, 2020. A copy of the scheme is enclosed herewith for your information and appropriate dissemination.

The details of the amalgamation are as under:

Sr. No.	Particulars	Remarks
1.	Name of the entities forming part of the amalgamation/merger, details in brief such as size, turnover etc.	Corporation Bank (**"Transferor Bank"**) will be amalgamating into Union Bank of India ("**Transferee Bank**") w.e.f. April 1, 2020. As on March 31, 2019 Union Bank of India and Corporation Bank had total business of Rs. 7,41,307 crores and Rs. 3,05,819 crores respectively and total 4292 and 2432 branches respectively.
2.	Whether the transaction would fall within related party transactions? If yes, whether the same is done at "arms length"	No
3.	Area of business of the entities	Banking
4.	Rationale for amalgamation/ merger	Amalgamation is approved by Central Government to create more efficient and bigger public sector banks in the changing environment to meet the credit needs of a growing economy and to achieve operational efficiency by scale of business. The proposed amalgamation will lead to wide spread geographical presence, strong technology adoption, better capital adequacy, wider customer base, improving asset quality and enhance customer service.

		Greater scale and synergy will lead to cost benefits, higher level of productivity and increased efficiency of banking system as a whole.
5.	In case of cash consideration – amount or otherwise share exchange ratio	Share Exchange Ratio is given below.
6.	Brief details of change in shareholding pattern of listed entity	Change in shareholding pattern will be ascertained after the record date.

Further, inform that the Board of Directors of our Bank at its meeting held on March 5, 2020 has approved the following Equity Share Exchange Ratio for amalgamation of Corporation Bank into Union Bank of India:

a) 330 equity shares of the face value of Rs.10 each fully paid up in Union Bank of India for every 1,000 equity shares of the face value of Rs.2 each fully paid up held in the Corporation Bank as on the record date.

The Board has also approved constitution of an 'Expert Committee', headed by Shri Justice S. D. Pandit, Retired Judge of Gujarat High Court, to give its recommendation to address the grievances/objections (if any) of minority shareholders, in relation to the Share Exchange Ratio.
The timelines for submission of objections by the minority shareholders is as under:

Sr. No.	Particulars	Date
1.	Publication of notice specifying the manner to raise objections in newspapers and on Bank's website (www.corpbank.com)	March 6, 2020
2.	Filing of written objections by minority shareholders	Latest by 5:00 PM on March 12, 2020

Further to inform that, pursuant to Regulation 42(e) and Regulation 42(2) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, **March 23, 2020** has been determined as '**Record Date**' for issuing and allotting equity shares of the Union Bank of India to the shareholders of Corporation Bank.

Thanking you.

Yours faithfully,

(एस. के. दाश S. K. Dash)
उप महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)
Deputy General Manager (Company Secretary)

Encl. **:** Scheme of Amalgamation

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

सा.का.नि. 154(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम यूनियन बैंक आफ इंडिया के साथ आन्ध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का समामेलन स्कीम, 2020 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं :-

(1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "**अधिनियम**" से यूनियन बैंक आफ इंडिया के संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) तथा आन्ध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक के संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) अभिप्रेत है ;

(ख) "**उपाबंध**" से इस स्कीम से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है ;

(ग) "**बैंक**" से अंतरिती बैंक अंतरक बैंक 1 या अंतरक बैंक 2 अभिप्रेत है ;

(घ) "**बोर्ड**" से अंतरक बैंक 1, अंतरक बैंक 2 या अंतरिती बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "**अंतरिती बैंक**" से यूनियन बैंक आफ इंडिया अभिप्रेत है;

(च) "**अंतरक बैंक 1**" से आन्ध्रा बैंक अभिप्रेत है;

(छ) "**अंतरक बैंक 2**" से कार्पोरेशन बैंक अभिप्रेत है;

(ज) "**अंतरक बैंक**" से अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 अभिप्रेत है;

(झ) "**शेयर विनिमय अनुपात**" से वह अनुपात अभिप्रेत है जिस पर अंतरिती बैंक के शेयर अनुसूची में उपवर्णित किए गए अनुसार अंतरक बैंक के शेयर धारकों को आवंटित किए जाएंगे ; और

(ञ) "**अनुसूची**" से इस स्कीम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और स्कीम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः इस अधिनियम में है ।

3. अंतरक बैंक के उपक्रम का अंतरिती बैंक में निहित होना,-

इस स्कीम के प्रारम्भ पर अंतरक बैंक के उपक्रम अंतरिती बैंक को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव,-

(1) अंतरक बैंक के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत सभी कारोबार, आस्तियां (जिनमें मूर्त और अमूर्त आस्तियां भी हैं) संपदा, अधिकार, हक, हित, शक्तियां, दावे, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार, अनुज्ञा पत्र, अनुमोदन, अनुज्ञाएं, प्रोत्साहन, ऋण, सहायकी, माफी, अनुदान, स्वतंत्रता, विशेष प्रास्थिति और अन्य विशेषाधिकार और अन्य सभी संपत्ति तथा चल और अचल, वातस्तिक और वैयक्तिक, मूर्त और अमूर्त, गुडविल, प्रतिलिप्याधिकार, नकद अतिशेष, पूंजी, आरक्षित निधियां, विनिधान, व्युत्पन्नों में संव्यवहार तथा ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार और हित और कब्जे में बौद्धिक संपदा आदि के अधीन सभी अधिकार या आरक्षण, भेंट या समाश्रित, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हो और कहीं भी स्थित हो (चाहे भारत में या भारत के बाहर), जिनके अंतर्गत भूमि, वाणिज्यिक या आवासीय परिसर, फिक्सर, यान, नकद अतिशेष, निक्षेप, विदेशी मुद्रा, प्रकटित या अप्रकटित आरक्षितियां, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टॉक, विनिधान, शेयर, लाभांश, बंध-पत्र, डिबेंचर, प्रतिभूति, किसी औद्योगिक समुत्थान का प्रबंध, किसी औद्योगिक समुत्थान का उधार, अग्रिम और गारंटियां, अन्य अभिधृति, पट्टे, बहीऋण और उपक्रमों के सम्बन्ध में अंतरक बैंक की ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित वे होंगे जो इस स्कीम के आरम्भ होने से ठीक पूर्व भारत के भीतर या बाहर अंतरक बैंक के स्वामित्वाधीन, उसके कब्जाधीन, शक्ति या नियंत्रण, और सभी लेखाबहियां, रजिस्टर, अभिलेख और उनसे सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेज, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, आते हों और उनके बारे में यह भी समझा जाएगा कि उपक्रमों के सम्बन्ध में, उनके अंतर्गत भारत के बाहर या भारत के भीतर अंतरक बैंक की तत्कालीन अस्तित्वशील सभी उधार, दायित्व और बाध्याताएं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, उन पर किसी प्रभार, बिल्लंगम, धारणाधिकार या प्रतिभूति सहित, चाहे वे प्रतिभूत या अप्रतिभूत हों, सम्मिलित है ।

(2) इस स्कीम के प्रारम्भ होने पर अंतरक बैंक के उपक्रम उसके अंतरण के लिए किसी कार्य, विलेख, सहमति या लिखत की अपेक्षा किए बिना, अंतरिती बैंक में निहित हो जाएंगी, उन्हें निहित होना या उनके द्वारा प्रबंध में लिया जाना समझा जाएगा ।

(3) इस स्कीम के प्रारम्भ पर, अंतरक बैंक की ऐसी आस्तियों के सम्बन्ध में, जो चल प्रकृति की हैं और अन्यथा हस्त या आन्वयिक परिदान या पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अंतरण के योग्य हैं, वे उनके अंतरण के लिए किसी विलेख, हस्तांतरण के लिखत की अपेक्षा किए बिना अंतरक बैंक द्वारा अंतरिती बैंक को अंतरित हो जाएंगी।

(4) उप-पैरा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और उपरोक्त उप-पैरा (3) में उल्लिखित आस्तियों से भिन्न चल आस्तियों के सम्बन्ध में, जिनके अंतर्गत ऋण, अनुयोज्य दावे, अग्रिम धन, प्राप्य वस्तुएं, बिल, प्रत्यय, उधार, अग्रिम और निक्षेप, यदि कोई हों, जो उपक्रम का भाग रूप हैं, चाहे वे नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय हों या नहीं, बैंक अतिशेष आदि भी हैं, किन्तु ये उन तक सीमित नहीं हैं, उन्हें इस उद्देश्य और आशय के लिए किसी व्यक्ति को किसी नोटिस या अन्य इत्तिला के बिना अंतरिती बैंक में अंतरित कर दिया जाएगा और निहित कर दिया जाएगा कि इन्हें वसूल करने या प्राप्त करने के लिए अंतरक बैंकों के अधिकार अंतरिती बैंक को अंतरित हो गए हैं तथा उस सीमा तक ऐसी आस्तियां, ऋण, उधार, प्राप्य योग्य वस्तु, अग्रिम या निक्षेप है, समुचित प्रविष्टियां, यथास्थिति ऐसे ऋणी व्यक्ति, निक्षेपकर्ताओं या व्यक्तियों को किसी नोटिस या अन्य इत्तिला के बिना पूर्वोक्त परिवर्तन को लेखबद्ध करने के लिए उनकी अपनी-अपनी बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए।

(5) अंतरक बैंक की ऐसी आस्तियां, जो अचल प्रकृति की हैं, अंतरिती बैंक में अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक द्वारा किए गए या किए जाने के लिए अपेक्षित किसी अतिरिक्त कार्य के बिना अंतरिती बैंक में निहित हो जाएंगी या उनके बारे में निहित होना समझा जाएगा और अंतरिती बैंक ऐसी अचल संपत्तियों से संलग्न सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा और भूमि किराया तथा कर का संदाय करने का और ऐसी अचल संपत्तियों के सम्बन्ध में या उनको लागू सभी बाध्यताओं को पूरा करने का दायी होगा।

(6) अचल संपत्तियों के हक का नामांतरण या प्रतिस्थापन, इस स्कीम के आरम्भ होने पर किया जाएगा और अंतरिती बैंक के नाम में सम्यक् रूप से अभिलेखित किया जाएगा।

(7) जहां कोई संपत्ति किसी पट्टे के अधीन अंतरक बैंक द्वारा धारित की गई है, वहां अंतरिती बैंक ऐसी संपत्ति के सम्बन्ध में पट्टेदार हो गया समझा जाएगा, मानों ऐसी संपत्ति के सम्बन्ध में, पट्टा अंतरिती बैंक को मंजूर किया गया था और तदोपरि ऐसे पट्टे के अधीन सभी अधिकार अंतरिती बैंक को अंतरित और उसमें निहित किए समझे जाएंगे :

परंतु यह कि इस उप-पैरा में निर्दिष्ट किसी पट्टे की अवधि की समाप्ति पर, यदि अंतरिती बैंक द्वारा ऐसी वांछा की जाए तो ऐसा पट्टा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नवीकृत किया जाएगा जिन पर पट्टा अंतरक बैंक द्वारा इस स्कीम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व धारित किया गया था।

(8) जब तक इस स्कीम द्वारा स्पष्टतया अन्यथा उपबंधित नहीं है, सभी संविदा, विलेख, बंध-पत्र, करार, मुक्तारनामे, विधित प्रतिनिधित्व के अनुदान और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखते, जो इस स्कीम के प्रारम्भ से ठीक पहले अस्तित्वशील या प्रभावशील हैं और जिनमें अंतरक बैंक-1 या अंतरक बैंक-2 के पक्षकार हैं या जो अंतरक बैंक-1 या अंतरक बैंक-2 के पक्ष में हैं। अंतरिती बैंक के विरूद्ध या उसके पक्ष में वैसे ही पूर्णतया और प्रभावशाली होंगी और वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवर्तित या कार्यान्वित की जा सकेंगी, मानो अंतरक बैंक-1 या अंतरक बैंक-2 के स्थान पर अंतरिती बैंक, उनमें एक पक्षकार रहा हो या मानों वे उनके अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी की गई हों और किसी ऐसे तृतीय पक्षकार या किसी अन्य व्यक्त, जो इस उप-पैरा के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए किसी भी पूर्वोक्त लिखतों या ठहरावों का पक्षकार नहीं है की सहमति अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(9) यदि अंतरक बैंकों द्वारा या उसके विरूद्ध किसी ऐसे उपक्रमों के, जो पैरा 3 के अधीन अंतरित किए गए हैं, किसी कारोबार के सम्बन्ध में, कोई वाद हेतुक, वाद, डिक्री, वसूली प्रमाणपत्र, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य कार्यवाही अंतरक बैंकों द्वारा या उनके विरूद्ध किसी न्यायालय या अभिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी (जिसके अन्तर्गत शंकाओं के परिवर्जन के लिए माध्यस्थम् अधिकरण भी है), के समक्ष इस स्कीम के प्रारम्भ से ठीक पहले लंबित है तो वे अंतरक बैंकों के उपक्रमों के अंतरण के अंतरित होने या इस स्कीम में कि किसी बात के होने के कारण वह उपशमित नहीं होगा या बंद नहीं होगा या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभावित नहीं होगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलायी जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी।

(10) उप-पैरा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस स्कीम के प्रारम्भ से ही अंतरक बैंक-1 और अंतरक बैंक-2 के पक्ष में जारी की गई या उनको मंजूर की गई या उनके पक्ष में निष्पादित किए गए सभी अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञाएं, अनुमोदन, निकासी, सहमति, फायदे, कर प्रोत्साहन, माफी, रजिस्ट्रीकरण, हकदारियां, प्रत्यय, प्रमाणपत्र, अधिनिर्णय, मंजूरी, आबंटन, कोटा, अनापत्ति प्रमाणपत्र, छूट, माफी और उनके अधीन अधिकार और फायदे, जहां तक उनका सम्बन्ध अंतरक बैंक-1 और अंतरक बैंक-2 से है, अंतरक बैंक-1 और अंतरक बैंक-2 के सभी बौद्धिक संपदा और अधिकार, चाहे वे संलग्न, सद्भाव, हक, हित, गुणवत्ता प्रमाणपत्र और अनुमोदनों सहित वाणिज्यिक प्रकृति के सभी अधिकारों सहित रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत हैं और उपक्रम के भाग रूप होने वाले सभी माल या सेवाओं से सम्बन्धित सभी अन्य हित और सभी कानूनी विनियामक अनुज्ञाओं, अनुमोदनों और सहमतियों, रजिस्ट्रीकरण या अन्य अनुज्ञप्तियों के फायदे और उपक्रम के भाग रूप होने वाले अंतरक बैंक-1 या अंतरक बैंक-2 द्वारा अर्जित सहमतियां अंतरिती बैंक को अंतरित हो जाएंगी और उसमें निहित की जाएंगी या उनके बारे में उन्हें अंतरित निहित हुआ समझा जाएगा और ऐसी अनुमोदनों, निकासियों, अनुज्ञाओं आदि से सम्बन्धित अनुज्ञापकों और अनुदत्तकर्ता, जहां आवश्यक हो, इन्हें विधि के अनुसार, ऐसे अनुमोदनों, निकासियों, अनुज्ञाओं पर, अंतरिती बैंक के सम्बन्ध में पृष्ठांकित और लेखबद्ध करेगा जिससे कि अंतरिती बैंक में अंतरक बैंक-1 और अंतरक बैंक-2 के उपक्रम के अनुमोदन या उसके निहित किए जाने को तथा बाधा के बिना अंतरिती बैंक में परिचालनों के चालू रहने को सशक्त किया जा सके और उन्हें सुकर बनाया जा सके और यह कि ऐसे अनुमोदन निकासी और अनुज्ञाएं, यथास्थिति, बैंक के पक्ष में या उसके विरूद्ध पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगी तथा अंतरक बैंक-1 और अंतरक बैंक-2 के स्थान पर पूर्णतया और प्रभावी रूप से वैसे ही प्रवृत्त होंगी, मानों अंतरिती बैंक उसका एक पक्षकार रहा या फायदाग्राही या बाध्यताकारी रहा हो ।

(11) जहां तक अंतरक बैकों द्वारा उपयोग किए गए या उपभोग किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों, सहायकियों, छुटों, अग्रनीत हानियों के कर फायदे, आनुकल्पिक कर प्रत्यय अवक्षयण, अपलेखन अवलेखन, प्रतिलेखन सहित सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी फायदों, माल और सेवा कर फायदों सहित सभी अप्रत्यक्ष कर संबंधी फायदे, आय-कर छूट या फायदा या हानि और अन्य फायदें या छूटें या विशेषाधिकार, जहां तक उनका संबंध अंतरक बैकों से है, किसी और अधिनियम या विलेख के बिना, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017, राज्य माल और सेवाकर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017, के उपबधों के अधीन रहते हुए अन्तरिती बैंक में उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर वैसे ही निहित हो जाएंगे और उपलब्ध रहेंगे मानो वे अंतरिती बैंक को आबंटित या अनुदत्त या मंजूर या अनुज्ञात किए गए हों।

(12) अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के पक्ष में या फायदे के लिए सृजित कोई प्रतिभूति, चाहे ऐसा प्रतिभूति हित स्थावर, जंगम, मूर्त या अर्मूत संपत्ति पर हो और चाहे बंधक रखने, आडमन, गिरवी, धारणाधिकार या प्रतिभूति हित सृजित करने के किसी अन्य प्ररूप या ढंग द्वारा हो और सभी प्रतिभूतियां, कम्फर्ट पत्र, प्रत्यय पत्र या अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के पक्ष में या फायदे के लिए वैसे ही लिखत के माध्यम से प्रतिभूति हित किसी और कृत्य, विलेख, लिखत या चीज के, अंतरिती बैंक को अंतरित कर दिया जाएगा और उसमें विहित होगा तथा उसका पूर्णतया लागू होना और प्रभावी होना जारी रहेगा तथा उसको ऐसे पूर्णतया और प्रभावोत्पदकता से प्रवरित किया जा सकेगा मानो अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के स्थान पर अंतरिती बैंक फायदाग्राही या उसका एक पक्षकार था और अंतरक बैंक को फायदा ऐसे उपलब्ध होगा, जैसे उसे प्रारंभ से ही अंतरिती बैंक के पक्ष में सृजित किया गया था और उससे किसी भी क्षमता में चाहे, जो भी हो, किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति की, जिसने ऐसी प्रतिभूति सृजित की थी, की सहमति इस उप-पैरा के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगी ।

(13) अंतरक बैंकों का प्रत्येक स्थायी और नियमित अधिकारी (सिवाय बोर्ड के) या अन्य स्थायी और नियमित कर्मचारी और परिवीक्षा पर अधिकारी या कर्मचारी, जो इस स्कीम के आरंभ होने से तुरंत पूर्व अंतरक बैंकों के नियोजन में हैं, यथास्थिति, अंतरिती बैंकों के अधिकारी या कर्मचारी हो जाएंगे और अंतरिती बैंकों में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अंतरिती बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए, अपना पद धारण करेंगे या सेवा करेंगे और उसके अनुसार कार्य करना जारी रखेंगे:

परंतु अंतरक बैंकों के कर्मचारियों या अधिकारियों को प्रस्थापित वेतन और भत्ते इस स्कीम के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व संबंधित अंतरक बैंकों में उनके द्वारा आहरित किए जाने वालों की तुलना में समग्र रूप से कम नहीं होंगे और

वह सेवा में कोई रुकावट या व्यवधान नहीं होगा तथा अंतरिती बैंक का बोर्ड अंतरक बैंक के सभी स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों को संरक्षित करने का सुनिश्चय करेगा ।

(14) अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो उप-पैरा 13 के अधीन अंतरिती बैंक में पद धारण नहीं करना चाहता है या सेवा नहीं करना चाहता है, को इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से तुरंत पूर्व तारीख को सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा और वह अंतरक बैंकों से सभी सेवानिवृत्ति फायदों का हकदार होगा, जो उसे अनुज्ञेय होते, यदि अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के सभी उपक्रम अंतरिती बैंक को अंतरित और उसमें निहित नहीं हुए थे तथा ऐसा अधिकारी या कर्मचारी सूचना या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा चाहे छंटनी या अन्यथा (जिसके अंतर्गत पद या नियोजन या अंतरक बैंकों के साथ नियोजन के लिए उसकी संपदा का समयपूर्व समापन है) के लिए हो ।

(15) अंतरक बैंक 1 या अंतरक बैंक 2 का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो अंतरक बैंक 1 या अंतरक बैंक 2 की सेवा से इस स्कीम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका है, और अंतरक बैंकों से कोई फायदे, अधिकार या विशेषाधिकार पाने का हकदार है, अंतरिती बैंक से वही फायदे, अधिकार या विशेषाधिकार पाने का हकदार होगा जो उसे अनुज्ञेय होते यदि अंतरक बैंक 1 या अंतरक बैंक 2 का उपक्रम अंतरित नहीं किया गया होता और अंतरिती बैंक में ही निहित होता।

(16) अंतरिती बैंक का बोर्ड इस स्कीम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र, अंतरक बैंक के कर्मचारियों की भर्ती अवधारित कर सकेगा जिसके अंतर्गत अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के साथ उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता भी है।

(17) किसी भविष्य निधि, उपदान, पेंशन निधि और ऐसी अन्य निधि जो अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित की गई हो, के न्यासी या प्रशासक, इस स्कीम के प्रारंभ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, अंतरिती बैंक के लिए या अन्यथा गठित कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान, पेंशन निधि के न्यासियों को अंतरित करेगा जैसा की अंतरिती बैंक निदेशित करे अंतरक बैंको के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सभी धन और निवेश और अंतरक बैंकों की भविष्य निधि या उपदान निधि अथवा पेंशन निधि या किसी अन्य निधि को दी गई आयकर या अन्य कर छूट, यदि कोई हो, अंतरिती बैंक को लागू बनी रहेगी:

परंतु ऐसे पश्चातवर्ती न्यासी निवेश के मूल्य में किसी कमी या इस स्कीम के प्रारंभ से पूर्व किसी कृत्य अवेहलना या व्यतिक्रम के संबंध में दायी नहीं होंगे।

(18) यदि भारत से बाहर किसी देश की विधियों के अनुसार इस स्कीम के उपबंध स्वयं ही उस देश में स्थित किसी आस्ति या दायित्व के अंतरण या उसे निहित करने के लिए प्रभावी नहीं हैं, जो अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 को अथवा अंतरिती बैंक के उपक्रम का भाग है, तो ऐसी आस्ति या दायित्व के संबंध में अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के कार्य अंतरिती बैंक के तत्समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी को न्यस्त हो जाएंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे सभी कृत्य और बात करेगा जो ऐसी आस्तियों को प्रभावी रूप से अंतरित करने तथा ऐसे दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 प्रयोग किए जाएं या किए जाएं तथा ऐसे अंतरण या निहित करने के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर ऐसे किसी देश की विधियों द्वारा अपेक्षित सभी कदम उठाएगा और या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 की किसी आस्ति की वसूली और किसी दायित्व का निर्वहन कर सकेगा।

5. अंतरक बैंकों के बोर्डों का विघटन--

इस स्कीम के प्रारंभ की तारीख से ही,--

(i) अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के बोर्ड विघटित हो जाएंगे;

(ii) कोई पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अंतर्गत अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 का प्रबंध निदेशक भी है, अपना पद धारण नहीं रखेगा और लागू विधि के अनुसार नोटिस के बदले वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा;

(iii) अंतरक बैंक की संपूर्ण शेयर पूंजी, बिना किसी और कृत्य, विलेख या लिखत के रद्द हो जाएगी;

(iv) अंतरक बैंक के शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सूची से बाहर हो जाएंगे जहां वे सूचीबद्ध हैं; और ऐसे शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर प्रमाणपत्र बिना किसी और कृत्य, विलेख या लिखत के स्वत:ही रद्द, समाप्त और अप्रभावी समझे जाएंगे ।

6. अल्पशेयरधारकों और प्रतिफलों के हित का संरक्षण.—

(1) इस स्कीम के प्रारंभ पर अंतरण और अंतरक बैंक 1 तथा अंतरक बैंक 2 के उपक्रमों को अंतरिती बैंक में निहित करने के प्रतिफल स्वरूप और बिना और अनुप्रयोजन, कृत्य, लिखत या विलेख के, अंतरिती बैंक इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपाबंध पर निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित शेयर विनिमय अनुपात के अनुसार अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के शेयरधारकों शेयर जारी करेगा।

(2) अंतरिती बैंक के शेयरों को अंतरक बैंकों के शेयरधारकों को जारी करते समय,--

(i) कोई आंशिक शेयर अंतरक बैंक के किसी शेयरधारक को आंशिक हकदारियों, यदि कोई हों, के संबंध में अंतरिती बैंक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे और अंतरिती बैंक का बोर्ड इसके बजाय अंतरिती बैंक के शेयरों के मूल्यांकन के अनुसार अवधारित ऐसे आंशिक शेयर के मूल्य के समान नकद अंतरक बैंक के शेयरधारकों को संदाय करेगा;

(ii) ऊपर उपपैरा (1) के निबंधनानुसार अंतरिती बैंक द्वारा जारी और आबंटित साधारण शेयर सभी प्रकार से मात्रा के अनुसार और उनसे संलग्न वही अधिकार होंगे जो तबके विद्यमान अंतरिती बैंक के साधारण शेयरों के थे, जिसके अंतर्गत लाभांश के संबंध में, यदि कोई हों, जो इस स्कीम के आरंभ पर या उसके पश्चात् अंतरिती बैंक द्वारा घोषित किए जाएं;

(iii) यदि अभिलिखित तारीख (अनुसूची में यथापरिभाषित) को किसी अंतरक बैंक के किसी शेयरधारक के कोई लबिंत शेयर अंतरण हों, चाहे सौंपे हुए या बकाया हों, अंतरिती बैंक का बोर्ड समुचित मामलों में, अभिलिखित तारीख के पश्चात् भी, अंतरिती बैंक में शेयरों के ऐसे अंतरण को प्रभावी करने के लिए सशक्त होगा मानो रजिस्ट्रीकृत धारक में ऐसे परिवर्तन अंतरिती बैंक में अंतरक या अंतरिती के शेयर से उद्भूत किन्ही कठिनाईयों को दूर करने के लिए अभिलिखित तारीख को प्रचालित थे;

(iv) ऊपर उपपैरा के निबंधनों में जारी अंतरिती बैंक के साधारण शेयर सूचीबद्ध किए जाएंगे और सुसंगत स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार के लिए प्रविष्ट होंगे जहां अंतरिती बैंक के साधारण शेयर लागू विधि के अनुसार वर्तमान में सूचीबद्ध या व्यापार के लिए प्रविष्ट हैं; और

(v) ऊपर उपपैरा (1) के अनुसरण में अंतरक बैंक के ऐसे साधारण शेयरों के संबंध में अंतरिती बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले साधारण शेयर, जिनका आबंटन या अंतरण लागू विधि के अधीन स्थगन में हैं, आबंटन या समुचित न्यायालय के आदेश द्वारा विवाद के समाधान या अन्यथा लंबित रहते हुए, अंतरिती द्वारा समान रीति में स्थगन में रखे जाएंगे।

(3) अंतरिती बैंक और अंतरक बैंकों के शेयरधारक शेयर विनिमय अनुपात के संबंध में अपने प्रतितोष, यदि कोई हों, को सामने रखने के हकदार होंगे।

(4) कोई शेयरधारक, जो या तो (क) व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 या अंतरक बैंक 2 की किसी कुल समागत साधारण पूंजी का कम से कम 1 प्रतिशत धारण करता है; या (ख) या अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 या अंतरक बैंक 2 के सामूहिक रूप से 100 शेयरधारक शेयर विनिमय अनुपात के प्रति आक्षेप करने के हकदार होंगे ।

(5) वह रीति जिसमें शेयरधारकों द्वारा आक्षेप किए जा सकते हैं, जो उपपैरा (4) के अधीन विहित ऊपरी सीमा के योग्य हैं, अंतरिती बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर या दो बृहद रूप से परिचालित समाचार पत्रों, जिनमें से एक अंग्रेजी में होगा, यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(6) विनिमय अनुपात घोषणा तारीख (उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट) के पश्चात् सात कलैंडर दिन से अपश्चात्, शेयरधारक जो उपपैरा (4) के अधीन विहित ऊपरी सीमा के अनुरूप हैं, अंतरिती बैंक और अंतरक बैंक द्वारा

गठित अर्हक और अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर बनी और ख्यातिप्राप्त स्वतंत्र व्यक्ति की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति के नाम से ज्ञात समिति को लिखित में युक्तियुक्त आक्षेप प्रस्तुत कर सकेंगे:

परंतु विशेषज्ञ समिति विनिमय अनुपात घोषणा तारीख के पश्चात् सात कलैंडर दिन के पश्चात् प्राप्त किन्ही आक्षेपों को अस्वीकार कर सकेगी ।

(7) ऊपर उपपैरा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से सात दिन के भीतर, विशेषज्ञ समिति अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के बोर्ड को रिपोर्ट के रूप में आक्षेपों का समाधान करने के लिए अपनी सिफारिशें देगी और अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के बोर्ड पृथक रूप से विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करेंगे और किन्ही प्रतितोषों या आक्षेपों के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करेंगे जैसे वे ठीक समझें।

7. समामेलन पर तत्स्थानी नए बैंक का नाम--

अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के अंतरिती बैंक के साथ समामेलन पर बचा हुआ अस्तित्व अंतरिती बैंक "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के नाम से ज्ञात होगा ।

[फा. सं. 7/93/2019-बी ओ ए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची

[पैरा 2(1)(i) देखें]

शेयर विनिमय अनुपात

शेयर विनिमय अनुपात निम्नानुसार होगा:

(क) अंतरक बैंक 1 के साधारण शेयरधारकों को जारी और आबंटित अंतरक बैंक 1 में धारित प्रत्येक 10 रुपए मूल्य के प्रत्येक [.] साधारण शेयर के लिए अंतरिती बैंक में पूर्णत: समादत्त के रूप में प्रत्यायित प्रत्येक केवल दस रुपए के साधारण शेयर, जिनके नाम इस प्रयोजन के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अवधारित अभिलिखित तारीख के नाम से ज्ञात तारीख को अंतरक 1 बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में अभिलिखित हैं।

(ख) अंतरक बैंक 2 के साधारण शेयरधारकों को जारी और आबंटित अंतरक बैंक 2 में धारित प्रत्येक दो रुपए मूल्य के प्रत्येक [.] साधारण शेयर के लिए अंतरिती बैंक में पूर्णत: समादत्त के रूप में प्रत्यायित प्रत्येक केवल दस रुपए के साधारण शेयर, जिनके नाम इस प्रयोजन के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अवधारित अभिलिखित तारीख के नाम से ज्ञात तारीख को अंतरक बैंक 2 के सदस्यों के रजिस्टर में अभिलिखित हैं।

उपाबंध

[पैरा 6(1) देखें]

शेयर विनिमय अनुपात अवधारित करने के लिए प्रक्रिया

(i) अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 में से प्रत्येक पृथक रूप से और स्वतंत्र रूप से शेयर विनिमय अनुपात अवधारित करने के लिए सुसंगत बैंकों के शेयरों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए एक **(स्वतंत्र मूल्यांकक के नाम से ज्ञात)** लेखा फर्म को नियुक्त करेगा ।

(ii) स्वतंत्र मूल्यांकक, प्रत्येक अंतरक बैंकों के लिए शेयर विनिमय अनुपात (संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट) प्रस्तावित करने वाली संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करेंगे।

(iii) अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 में से प्रत्येक पृथक रूप से और स्वतंत्र रूप से आनुक्रमिक बैंक को स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर पृथक ऋजु राय देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग-1 मर्चेंट बैंकर नियुक्त करेगा **(ऋजु राय)** ।

(iv) अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 में से प्रत्येक की संपरीक्षा समितियां शेयर विनिमय अनुपात पर विचार करेंगी तथा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और आनुक्रमिक बैंकों को जारी ऋजु राय पर विचार करने के पश्चात् अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक 1 और अंतरक बैंक 2 के बोर्डों को अपनी सिफारिशें देंगी।

(v) आनुक्रमिक संपरीक्षा समिति की सिफारिशों, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट और आनुक्रमिक बैंकों को जारी ऋजु राय पर विचार करने के पश्चात्, आनुक्रमिक बैंकों के बोर्ड स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा सुझाए गए शेयर विनिमय अनुपात का अनुमोदन करेंगे जो आनुक्रमिक बैंकों के बोर्डों की राय में ऋजु और युक्तियुक्त हों।

(vi) प्रत्येक आनुक्रमिक बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को शेयर विनिमय अनुपात अधिसूचित किया जाएगा जिस पर ऐसे बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और ऐसी अधिसूचना की तारीख **विनिमय अनुपात घोषणा तारीख** के नाम से ज्ञात होगी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2020

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following Scheme, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) This Scheme may be called the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 2020.

2. Definitions.—

(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) in respect of Union Bank of India and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), in respect of Andhra Bank and Corporation Bank;

(b) "Annexure" means Annexure attached to this Scheme;

(c) "bank" means the Transferee Bank, Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2;

(d) "Board" means the Board of Directors of Transferee Bank, Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2;

(e) "Transferee Bank" means Union Bank of India;

(f) "Transferor Bank 1" means Andhra Bank;

(g) "Transferor Bank 2" means Corporation Bank;

(h) "Transferor Banks" means the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2;

(i) "Share Exchange Ratio" means the ratio at which the Transferee Bank shares shall be allotted to the Transferor Banks' shareholders as set out in the Schedule; and

(j) "Schedule" means the schedule to this Scheme.

(2) Words and expressions used herein and not defined in this Scheme, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Undertaking of Transferor Banks to vest in the Transferee Bank. −

On the commencement of this Scheme, the undertakings of the Transferor Banks shall be transferred to and shall vest in the Transferee Bank.

4. General effect of vesting. −

(1) The undertakings of the Transferor Banks shall be deemed to include all business, assets (including tangible and intangible), estates, rights, titles, interest, powers, claims, licenses, authorities, permits, approvals, permissions, incentives, loans, subsidies, concessions, grants, liberties, special status and other privileges and all property, movable and immovable, real and personal, tangible and intangible, goodwill, copyright, cash balances, capital, reserve funds, investments, transactions in derivatives, and all other rights and interests in, or arising out of, such property and all rights under the intellectual property, etc., in possession or reservation, present or contingent of whatever nature and wherever situated (whether within or outside India), including lands, commercial or residential premises, fixtures, vehicles, cash balances, deposits, foreign currencies, disclosed and undisclosed reserves, reserve fund, special reserve fund, benevolent reserve fund, any other fund, stocks, investments, shares, dividends, bonds, debentures, security, management of any industrial concern, loans, advances and guarantees to any industrial concern, other tenancies, leases and book- debts and all other rights and interests arising out of such property of the Transferor Banks in relation to the undertakings as were immediately before the commencement of the Scheme, in the ownership, possession, power or control of the Transferor Banks within or outside India, and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind within or outside India then subsisting of the Transferor Banks whether secured or unsecured, along with any charge, encumbrance, lien or security thereon in relation to the undertakings.

(2) Upon the commencement of this Scheme, the undertakings of the Transferor Banks shall vest or be deemed to vest or be taken over by the Transferee Bank without requiring any act, deed, consent or instrument for transfer of the same.

(3) On the commencement of this Scheme, in respect of such of the assets of the Transferor Banks as are movable in nature or otherwise capable of transfer by manual or constructive delivery or by endorsement and delivery, the same shall stand transferred by Transferor Banks to the Transferee Bank without requiring any deed or instrument of conveyance for transfer of the same and shall become the property of the Transferee Bank.

(4) Without prejudice to the generality of sub-paragraph (1) and in respect of movable assets other than those dealt with in sub-paragraph (3), including but not limited to debts, actionable claims, earnest monies, receivables, bills, credits, loans, advances and deposits, if any, forming part of the undertaking, whether recoverable in cash or in kind or for value to be received, bank

balances, etc., the same shall stand transferred to and vested in the Transferee Bank without any notice or other intimation to any person to the end and intent that the rights of the Transferor Banks to recover or realize the same stands transferred to the Transferee Bank, and to the extent such assets is a debt, loan, receivable, advance or deposit, appropriate entries should be passed in their respective books to record the aforesaid change, without any notice or other intimation to such debtors, depositors or persons as the case may be.

(5) The assets of the Transferor Banks that are immovable in nature shall, be vested in or be deemed to have been vested in the Transferee Bank, without any further act or deed done or being required to be done by the Transferor Banks or by the Transferee Bank and the Transferee Bank shall be entitled to exercise all rights and privileges attached to such immovable properties and shall be liable to pay the ground rent and taxes and fulfil all obligations in relation to or applicable to such immovable properties.

(6) The mutation or substitution of the title to the immovable properties shall, upon the commencement of this Scheme, be made and duly recorded in the name of the Transferee Bank.

(7) Where any property is held by the Transferor Banks under any lease, the Transferee Bank shall be deemed to have become the lessee in respect of such property as if the lease in relation to such property had been granted to the Transferee Bank and thereupon all the rights under such lease shall be deemed to have been transferred to, and vested in, the Transferee Bank:

Provided that on the expiry of the term of any lease referred to in this sub-paragraph shall, if so desired by the Transferee Bank, be renewed on the same terms and conditions on which the lease was held by the Transferor Banks immediately before the commencement of this Scheme.

(8) Unless otherwise expressly provided in this Scheme, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect, immediately before the commencement of this Scheme and to which Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2 is a party or which are in favour of the Transferor Bank 1 or the Transferor Bank 2, shall be of full force and effect against or in favour of the Transferee Bank, and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the Transferor Bank 1 or the Transferor Bank 2, the Transferee Bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the Transferee Bank thereto and it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any of the aforesaid instruments or arrangements to give effect to the provisions of this sub-paragraph.

(9) If, immediately before the commencement of this Scheme, any cause of actions, suit, decrees, recovery certificates, appeals or other proceedings of whatever nature in relation to any business of the undertakings which have been transferred under paragraph 3, is pending by or against the Transferor Banks before any court or tribunal or any other authority (including for the avoidance of doubt, an arbitral tribunal), the same shall not abate, be discontinued or be, in any way prejudicially affected by reason of the transfer

of the undertakings of the Transferor Banks or of anything contained in this Scheme but the suit, appeal or other proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the Transferee Bank.

(10) Without prejudice to the generality of sub-paragraph (1), it is clarified that on and from the commencement of this Scheme, all permits, licenses, permissions, approvals, clearances, consents, benefits, tax incentives or concessions, registrations, entitlements, credits, certificates, awards, sanctions, allotments, quotas, no objection certificates, exemptions, concessions, issued to or granted to or executed in favour of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2, and the rights and benefits under the same, in so far as they relate to the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2, all intellectual property and rights thereto of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2, whether registered or unregistered, along with all rights of commercial nature including attached goodwill, title, interest, quality certifications and approvals, and all other interests relating to the goods or services forming part of the undertaking and the benefit of all statutory and regulatory permissions, approvals and consents, registration or other licenses, and consents acquired by the Transferor Bank 1 or the Transferor Bank 2 forming part of the undertaking, shall be transferred to and vested in or deemed to have transferred to or vested in the Transferee Bank and the concerned licensors and grantors of such approvals, clearances, permissions, etc., shall endorse, where necessary, and record, in accordance with law, the Transferee Bank on such approvals, clearances, permissions so as to empower and facilitate the approval and vesting of the undertaking of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 in the Transferee Bank and continuation of operations in the Transferee Bank without hindrance and that such approvals, clearances and permissions shall remain in full force and effect in favour of or against the Transferee Bank, as the case may be, and may be enforced as fully and effectually as if, instead of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2, the Transferee Bank had been a party or beneficiary or oblige thereto.

(11) In so far as various incentives, subsidies, exemptions, all direct tax related benefits including tax benefits of losses carried forward, minimum alternate tax credit, depreciation, write-offs, write-downs, write-backs, all indirect tax related benefits, including goods and services tax benefits, income tax holiday or benefit or losses and other benefits or exemptions or privileges enjoyed, or availed by the Transferor Banks shall, subject to the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the State Goods and Services Tax Act, 2017, the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, without any further act or deed, in so far as they relate to the Transferor Banks vest with and be available to the Transferee Bank on the same terms and conditions as if the same had been allotted or granted or sanctioned or allowed to the Transferee Bank.

(12) Any security interest created in favour of or for the benefit of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2, whether such security interest be over immovable, movable, tangible or intangible property, and whether by way of mortgage, hypothecation, pledge, lien or any other form or mode of creation of security interest, and all guarantees, letters of comfort, letters of credit or

similar instruments in favour of or for the benefit of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2, shall without any further act, deed, instrument or thing, be transferred to and vested in the Transferee Bank or be deemed to have been transferred to and vested in the Transferee Bank, and shall continue to be in full force and effect and may be enforced as fully and effectually as if instead of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2, the Transferee Bank had been the beneficiary or a party thereto, and the benefit shall be available to the Transferee Bank as if such same were *ab initio* created in favour of the Transferee Bank and it shall not be necessary to obtain the consent of any person concerned therewith in any capacity whatsoever or of the person who created such security in order to give effect to the provisions of this sub-paragraph.

(13) Every permanent and regular officer or other permanent and regular employee of the Transferor Banks (except the Board) and officers or employees on probation, serving in the employment of the Transferor Banks immediately before the commencement of this Scheme, shall become an officer or, as the case may be, employee of the Transferee Bank and shall hold his office or service therein in the Transferee Bank on such terms and conditions as may be approved by the Board of the Transferee Bank and shall continue to work in accordance therewith:

Provided that the pay and allowance offered to the employees or officers of the Transferor Banks shall not be less favourable, overall, as compared to what they would have drawn in the respective Transferor Banks immediately before the commencement of this Scheme and without any break or interruption in service and the Board of Transferee Bank shall ensure that the interests of all transferring employees and officers of the Transferor Banks are protected.

(14) Any officer or other employee of the Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2 who does not want to hold his office or service in the Transferee Bank under sub-paragraph 13, shall be deemed to have been superannuated on the date immediately preceding the date of commencement of this Scheme and shall be entitled to all superannuation benefits from the Transferor Banks as would have been admissible to him if the undertaking of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 had not been transferred to and vested in the Transferee Bank and such officer or employee shall not be entitled to notice or compensation, whether for retrenchment or otherwise (including for loss of office or employment or premature termination of his contract of employment with the Transferor Banks).

(15) Any officer or other employee of the Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2 who has retired before the date of commencement of this Scheme from the service of the Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2, and entitled to any benefits, rights or privileges from the Transferor Banks shall be entitled to receive same benefits, rights or privileges from the Transferee Bank as would have been admissible to him if the undertaking of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 had not been transferred to and vested in the Transferee Bank.

(16) The Board of the Transferee Bank may, as soon as may be after the commencement of this Scheme, determine the placement of the employees

of the Transferor Banks including the determination of their *inter-se* seniority vis-à-vis the employees of the Transferee Bank.

(17) The trustees or administrators of any provident fund, gratuity, pension fund and such other funds constituted for the employees of the Transferor Banks, shall on, or as soon as possible after, the commencement of this Scheme, transfer to the trustees of the employees provident fund, gratuity, pension fund and any other fund, constituted for the Transferee Bank or otherwise as the Transferee Bank may direct, all monies and investments held in trust for the benefit of the employees of the Transferor Banks and any income tax or other tax exemption granted to the provident fund or the gratuity fund or the pension fund or any other funds of Transferor Banks, if any, shall continue to be applied to the Transferee Bank:

Provided that such latter trustees of Transferee bank shall not be liable for deficiency in the value of investments or in respect of any act, neglect or default done before the commencement of this Scheme.

(18) If according to the laws of any country outside India, the provisions of this Scheme by themselves are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 to, or in, the Transferee Bank, the affairs of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 in relation to such asset or liability shall, stand entrusted to the chief executive officer for the time being of the Transferee Bank, and the chief executive officer may exercise all powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 for the purpose of effectively transferring such assets and discharging such liabilities and shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting, and may either himself or through any person authorised by him in this behalf realise any asset and discharge any liability of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2.

5. Dissolution of the Boards of the Transferor Banks. −

On and from the date of commencement of this Scheme, −

(i) the Board of the Transferor Bank 1 and the Board of the Transferor Bank 2 shall stand dissolved;

(ii) any whole-time director, including the managing director, of the Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 shall cease to hold office and shall be entitled to receive salary and allowances in lieu of the notice in accordance with the applicable law;

(iii) the entire share capital of Transferor Banks shall, without any further act, deed or instrument, stand cancelled; and

(iv) the shares of the Transferor Banks shall stand delisted from stock exchange in India where they are listed; and the share certificates representing such shares shall, without any further act, deed or instrument, be deemed to be automatically cancelled, extinguished and be of no effect.

6. Protection of the interest of the minority shareholders and considerations. −

(1) On the commencement of this Scheme, in consideration for the transfer and vesting of the undertakings of Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 in the

Transferee Bank and without any further application, act, instrument or deed, the Transferee Bank shall, subject to the provisions of this Scheme, issue shares to the shareholders of Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 as per the Share Exchange Ratio determined in accordance with the procedure as set out in the Annexure.

(2) While issuing the shares of the Transferee Bank to the shareholders of the Transferor Banks, –

(i) no fractional shares shall be issued by the Transferee Bank in respect of fractional entitlements, if any, to any shareholder of the Transferor Banks and the Board of the Transferee Bank shall, instead pay the Transferor Banks' shareholders, cash equal to the value of such fractional share determined in accordance with the valuation of the shares of the Transferee Bank;

(ii) the equity shares issued and allotted by the Transferee Bank in terms of sub-paragraph (1) rank *pari passu* in all respects and shall have the same rights attached to them as the then existing equity shares of the Transferee Bank, including, in respect of dividends, if any, that may be declared by the Transferee Bank, on or after the commencement of this Scheme;

(iii) if there are any pending share transfers, whether lodged or outstanding, of any shareholder of any of the Transferor Banks on the record date, as set out in the Schedule, the Board of the Transferee Bank shall be empowered in appropriate cases, even subsequent to the record date, to effectuate such a transfer of shares in the Transferee Bank as if such changes in registered holder were operative as on the record date in order to remove any difficulties arising to the transferor or transferee of the share in the Transferee Bank;

(iv) the equity shares of the Transferee Bank issued in terms of sub-paragraph (1) shall be listed and admitted to trading on the relevant stock exchanges, where the equity shares of the Transferee Bank are presently listed or admitted to trading, in accordance with applicable law; and

(v) The equity shares to be issued by the Transferee Bank pursuant to sub-paragraph (1) in respect of such equity shares of the Transferor Banks, the allotment or transfer of which is held in abeyance under applicable law shall, pending allotment or settlement of dispute by order of the appropriate court or otherwise, also be kept in abeyance in like manner by the Transferee Bank.

(3) The shareholders of the Transferee Bank and Transferor Banks shall be entitled to raise their grievances, if any, in relation to the Share Exchange Ratio.

(4) Only shareholders who either (a) individually or collectively hold at least one per cent of the total paid up equity capital of any of the Transferee Bank, Transferor Bank 1 or Transferor Bank 2; or (b) are one hundred shareholders acting collectively, of any of the Transferee Bank, Transferor Bank 1 or

Transferor Bank 2, shall be entitled to raise objections to the Share Exchange Ratio.

(5) The manner in which the objections can be raised by the shareholders who meet the threshold limits prescribed under sub-paragraph (4) shall be as specified by the Transferee Bank in its website or through publication in two widely circulated newspapers of which at least one shall be in English.

(6) Not later than seven calendar days after the Swap Ratio Announcement Date, as set out in the Annexure, shareholders that satisfy the threshold limits prescribed under sub-paragraph (4) may submit reasoned objections in writing to a committee constituted by the Transferee Bank and Transferor Banks, to be known as the expert committee, comprising of qualified and experienced persons and headed by an independent person of repute:

Provided that, the expert committee may disregard any objections or comments received later than seven calendar days after the swap ratio announcement date.

(7) Within seven calendar days from the expiry of the period specified in sub-paragraph (6), the expert committee shall provide its recommendations to address the objections in the form of a report to the Boards of the Transferee Bank, Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 and the Boards of the Transferee Bank, Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 shall separately consider the report of the expert committee and take suitable actions as they deem fit for redressal of any grievances or objections.

7. Name of the corresponding new bank on amalgamation. –

Upon amalgamation of the Transferor Bank 1 and the Transferor Bank 2 into the Transferee Bank, the surviving entity being the Transferee Bank shall be known by the name "Union Bank of India".

[F. No. 7/93/2019-BOA.I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE

[see paragraph 2(1)(i)]

Share Exchange Ratio

The Share Exchange Ratio shall be as follows:

(a) [•] equity shares of rupees ten only each, credited as fully paid up in the Transferee Bank for every [•] equity shares of the face value of rupees ten only each held in the Transferor Bank 1 issued and allotted to the equity shareholders of the Transferor Bank 1 whose names are recorded in the register of members of the Transferor Bank 1 as on the date determined by the Transferee Bank for this purpose to be known as the record date.

(b) [•] equity shares of rupees ten only each, credited as fully paid up in the Transferee Bank for every [•] equity shares of the face value of rupees two only each held in the Transferor Bank 2 to be issued and allotted to the equity shareholders of the Transferor Bank 2 whose names are recorded in the register of members of the Transferor Bank 2 as on the date determined by the Transferee Bank for this purpose to be known as the record date.

Annexure

[see paragraph 6(1)]

Procedure for determining the Share Exchange Ratio

(i) The Transferee Bank, Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 shall each separately and independently appoint one accounting firm (**Independent Valuer**) to undertake an independent valuation of the shares of the relevant banks to determine Share Exchange Ratio.

(ii) The Independent Valuers shall issue joint valuation report proposing the Share Exchange Ratio (**Joint Valuation Report)** for each of the Transferor Banks.

(iii) The Transferee Bank, Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 shall each separately and independently appoint one category I Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India to give separate fairness opinions on valuation done by the independent valuers to the respective bank (**Fairness Opinion**).

(iv) The audit committees of each of the Transferee Bank, Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2 shall consider the Share Exchange Ratio and provide its recommendations to the Boards of the Transferee Bank, Transferor Bank 1 and Transferor Bank 2, after taking into consideration the Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks.

(v) After taking into consideration the recommendations of the respective audit committee, the Joint Valuation Report and the fairness opinion issued to the respective banks, the Boards of the respective banks shall approve the Share Exchange Ratio suggested by the independent valuers which in the opinion of the Boards of the respective banks is fair and reasonable.

(vi) The Share Exchange Ratio shall be notified by each of the respective banks to the stock exchanges on which shares of such bank are listed and the date of such notification to be known as the **Swap Ratio Announcement Date**.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

सा.का.नि. 155(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का समामेलन स्कीम, 2020 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं :-

(1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ट) "**अधिनियम**" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) अभिप्रेत है ;

(ठ) "**उपाबंध**" से इस स्कीम से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है ;